वित्त मंत्रालय
आर्थिक मामले विभाग
(कैपिटल मार्केट डिवीजन)

राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना (आरजीईएसएस)
के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विषय–सूची

I. आरजीईएसएस के उद्देश्य और कानूनी पहलू 4
1. आरजीईएसएस क्या है 4
2. योजना का उद्देश्य क्या है? 4
3. आरजीईएसएस के लिए कानूनी प्रावधान क्या है? 4
4. पहली बार के निवेशक इक्विटी बाजार में अपना पैसा तो नहीं खोएंगे? उनके लिए इसमें निवेश करना बेहद खतरनाक (जोखिम भरा) तो नहीं होगा? 4
5. हमारे पास पहले से ही एक इक्विटी लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस) है? हमें आरजीईएसएस की जरूरत क्यों हैं? 5
6. अन्य कर (टैक्स) बचत योजनाओं की तुलना में आरजीईएसएस के लाभ / हाइलाइट क्या हैं? 5
II. योजना का कवरेज: आरजीईएसएस के तहत अनुमति प्राप्त निवेशक और निवेश 6
7. इस योजना के तहत कौन कौन कवर किए जाएंगे? नया निवेशक कौन है? 6
8. मैं एक अनिवासी भारतीय हूं, क्या मैं आरजीईएसएस के लिए पात्र हूं? 6
9. मेरे पास पहले से ही म्यूचुअल फंड और / या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिट हैं; क्या मैं आरजीईएसएस के लिए पात्र हूं? 7
10 मेरे पास कुछ फिजिकल शेयर हैं; क्या मैं आरजीईएसएस के तहत पात्र हूं? 7
11. योजना के तहत उपलब्ध निवेश विकल्प क्या हैं? आरजीईएसएस के तहत योग्य प्रतिभूतियां (सिक्युरिटीज़) क्या हैं? 7
12. इन योग्य शेयरों (स्टॉक) के बारे में जानकारी मुझे कहां से प्राप्त हो सकती है? 8
13. आरजीईएसएस निवेश शीर्ष 100 स्टॉक तक ही सीमित क्यों हैं? 8
14. जब मैंने निवेश किया तो वह विशेष स्टॉक बीएसई 100 में सूचीबद्ध था; उसके बाद एक्सचेंज द्वारा उसे बीएसई 100 सूची से निकाल दिया गया; मेरे द्वारा अपना रिटर्न दाखिल करने पर, क्या मेरा निवेश अभी भी आरजीईएसएस के लिए पात्र है? 8
15. मैंने मार्च के महीने में आईपीओ के लिए आवेदन किया; हालांकि, कंपनी अप्रैल में यानी अगले वित्तीय वर्ष में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। क्या मेरा निवेश योग्य (उचित) है? 8
16. क्या मैं उसे किश्तों में दे सकता हूं? 8
17. आरजीईएसएस के तहत क्या मैं अपने निवेश को दो वित्तीय वर्षों में बांट सकता हूं और कटौती का दावा कर सकता हूं? 9
18. क्यों योजना इस योजना के लाभों को केवल पहले वर्ष के लिए सीमित करती है? 9
19. आरजीईएसएस के तहत मैं कितनी कर (टैक्स) कटौती के लिए पात्र होऊंगा? 9
20. मैंने धारा 80 सी के तहत पहले से ही कर लाभ का दावा किया है। क्या मैं आरजीईएसएस के तहत फायदा उठा सकता हूं? 10
21. क्या मैं रु. 50,000 से अधिक का निवेश कर सकता हूं और आरजीईएसएस के तहत कर लाभ का दावा कर सकता हूं? 10
22. मैंने कंपनी 'क' से शेयर खरीदे हैं जिसमें आरजीईएसएस के तहत रु. 70,000 की योग्य प्रतिभूति (सिक्युरिटी) शामिल है; मैं रु. 50,000/– से अधिक के निवेश को कैसे मुक्त कर सकता हूं? 10
23. मुझे फॉर्म बी (प्रपत्र ख) कब सबमिट करना चाहिए? क्या कोई समय सीमा है? 10
24. क्या मैं फॉर्म बी में निर्दिष्ट पात्र प्रतिभूतियों में निवेश की गई राशि के संदर्भ में कर कटौती का दावा कर सकता हूं? 11

III. इस योजना में भाग लेना: प्रक्रियात्मक और परिचालन संबंधी मुद्दे 11
25. आरजीईएसएस योग्य निवेश कैसे रें? 11
26. योग्य प्रतिभूतियों को धारित (होल्ड) करने का मोड क्या होगा? 11
27. क्या मुझे अपने म्यूचुअल फंड / ईटीएफ यूनिट को डीमैट फॉर्म में भी प्राप्त करने की जरूरत होगी? 11
28. क्या निवेशक को आरजीईएसएस के लाभ उठाने के लिए एक समर्पित डीमैट खाता खोलने की जरूरत है? क्या मैं अन्य प्रतिभूतियों यानी आरजीईएसएस के लिए नामित अपने डीमैट खाते में योग्य प्रतिभूतियों से भिन्न को धारण कर सकता हूं? 11
29. क्या ऑफ़ मार्केट ट्रेड के माध्यम से या आरजीईएसएस के तहत दावा लाभों के लिए योग्य डीमैटेरियलाइजेशन के माध्यम से मेरे डीमैट खाते में क्रेडिट प्राप्त होता है? 12
30. एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ आरजीईएसएस डीमैट खाता कैसे खोलें? 12
31. एक ट्रेडिंग खाता कैसे खोलें? 12
32. एक डीमैट / ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए मुझे किन दस्तावेजों को देने की जरूरत है? 12
33. मैं पैन मुक्त श्रेणी (सिक्किम का निवासी) से आता हूं, क्या मैं बिना पैन के एक आरजीईएसएस खाता खोल सकता हूं? 14
34. क्या मुझे अपने ट्रेडिंग और डीमैट खातों हेतु इंटरनेट एक्सेस के लिए पूछना चाहिए? 14
35. क्या मैं आरजीईएसएस के तहत एक मौजूदा डीमैट खाते को नामित कर सकता हूं? 14
36. मुझे 'फॉर्म ए (प्रपत्र क)' फॉर्म 'बी' (प्रपत्र ख), आदि कहां से मिलेगा? 14
37. क्या मैं आरजीईएसएस के लिए एक से अधिक डीमैट खाते नामित या खोल सकता हूं? 14
38. आरजीईएसएस के लिए क्या कोई कम लागत वाला डीमैट खाता भी है? 14
39. प्रतिभूति बाजार में सक्रिय होने पर (यानी उसे ऑपरेट करते समय), 'करने वाली (Do's)' और 'नहीं करने वाली (Don'ts)' कौन सी चीजें हैं? 15
40. प्रतिभूति बाजार में अपने लेनदेन (ट्रांजेक्शन) के संबंध में मैं अपनी शिकायत कहां दर्ज कर सकता हूं? 15
IV. आरजीईएसएस के तहत लॉक-इन स्थितियों का कार्यान्वयन और प्रतिभूतियों का मूल्यांकन 16
41. कर लाभ प्राप्त करने के लिए आरजीईएसएस के तहत किए गए शुरूआती निवेश के मूल्यांकन के लिए आधार क्या होगा? 16
42. आरजीईएसएस के तहत किए गए निवेश के लिए अवधारण अवधि (होल्डिंग पीरियड) क्या है? 16
43. 'फिक्स्ड लॉक-इन' अवधि क्या है? 18
44. लॉक-इन अवधि कब शुरू होती है? खरीद की तिथि से या डीमैट खाते में प्रतिभूति के जमा (क्रेडिट) होने की तिथि से? 18
45. यदि फिक्स्ड लॉक-इन केवल आरजीईएसएस के तहत प्रतिभूति की प्राप्ति के अंतिम दिन से काउंट होता है, तो क्या वह तीन वर्षों से अधिक के लिए लॉक-इन में नहीं बदल जाएगा? 18
46. क्या मैं 'फिक्स्ड लॉक-इन' अवधि के दौरान आरजीईएसएस के लिए घोषित पात्र प्रतिभूतियों को बेच / गिरवी रख सकता हूं? 18
47. 'लचीली लॉक-इन' अवधि क्या है? 18
48. क्या मैं लचीली लॉक-इन अवधि में ट्रेड / बिक्री कर सकता हूं? 18
49. लचीली लॉक-इन अवधि के दौरान प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? 19
50. डिपॉजिटरी द्वारा अपनाए गए सामान्य मूल्यांकन सिद्धांत की तुलना में आरजीईएसएस योग्य प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में क्या कोई अंतर है? 19
51. तीन वर्षीय लॉक-इन स्थिति का कार्यान्वयन कैसे किया जाता है? 20
52. क्या होगा यदि मैं 'लचीली लॉक-इन' अवधि के दौरान योग्य प्रतिभूतियों का ट्रेड (बिक्री/खरीद) नहीं करूं? 22
53. लचीली लॉक-इन अवधि की समाप्ति पर मेरे डीमैट खाते का क्या होगा? 22

V. निगरानी (मॉनिटरिंग) और दंड (पेनाल्टी) 22
54. क्या मुझे योजना के प्रावधानों के साथ अनुपालन (कंप्लायंस) के उद्देश्य हेतु आरजीईएसएस योग्य प्रतिभूतियों को मूल्यांकित करना होगा? 22
55. मैं कर कटौती के लिए दावा कैसे करूं ? 22
56. मुझे नया खुदरा (रिटेल) निवेशक प्रमाणपत्र और वार्षिक खाता विवरण कौन देगा? 22
57. यदि मैं आरजीईएसएस की शर्तों का उल्लंघन करता हूं तो उसके लिए क्या दंड है ? 23
58. लचीली लॉक–इन अवधि के दौरान आरजीईएसएस योग्य निवेश पर विभिन्न प्रकार की कार्पोरेट कार्रवाइयों जैसे कि स्प्लिट, कंसोलिडेशन, बोनस, अधिकार, आदि का प्रभाव क्या होगा? 23
59. योजना की निगरानी कैसे की जाती है ? 23
60. अधिक विवरणों के लिए मैं किनसे संपर्क कर सकता हूं? 24

I. आरजीईएसएस के उद्देश्य और कानूनी पहलू

1. आरजीईएसएस क्या है

राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना (आरजीईएसएस) एक कर बचत योजना है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2012-13 (पैरा 35) में की गई है। इस योजना को विशेष रूप से उन खुदरा निवेशकों के लिए डिजाइन किया गया है जो पहली बार प्रतिभूति बाजार में रु. 50,000 तक का निवेश कर रहे हैं और जिनकी सकल आय एक वर्ष में रु.10 लाख या उससे कम है। निवेशक को आयकर अधिनियम की धारा 80 सीसीजी के तहत उस वर्ष की करयोग्य आय से निवेश की गई राशि पर 50% की कटौती प्राप्त होगी।

2. योजना का उद्देश्य क्या है?

जैसा कि केंद्रीय बजट 2012-13 में घोषणा की गई है, इस योजना का उद्देश्य बचत के प्रवाह को प्रोत्साहित करना और घरेलू पूंजी बाजार के मुख्य क्षेत्र (डेप्थ) में सुधार करना है। इससे भारत में एक ' इक्विटी संस्कृति' को बढावा देने में मदद मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य भारतीय प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशक आधार का विस्तार करना है और साथ ही वित्तीय स्थिरता और वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को आगे ले जाना है।

3. आरजीईएसएस के लिए कानूनी प्रावधान क्या है?

रु. 50,000 तक का निवेश करने वाले और रु. 10 लाख या उससे कम की सकल वार्षिक आय वाले 'नए खुदरा निवेशकों' को कर में लाभ देने के लिए वित्त अधिनियम 2012 द्वारा 'एक इक्विटी बचत योजना के तहत निवेश के संबंध में कटौती' पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एक नई धारा 80 सीसीजी जोड़ी गई।

राजस्व विभाग द्वारा आरजीईएसएस योजना का ब्यौरा 23 नवंबर 2012 (धारा संख्या 2777(ई); अधिसूचना संख्या 51) को अधिसूचित किया गया और बाद में 5 दिसंबर 2012 (धारा संख्या 2835(ई); अधिसूचना संख्या 53) को एक शुद्धिपत्र के माध्यम से भी अधिसूचित किया गया। परिचालन संबंधी दिशानिर्देश 6 दिसंबर 2012 को सेबी द्वारा जारी किए गए थे।

4. पहली बार के निवेशक इक्विटी बाजार में अपना पैसा तो नहीं खोएंगे? उनके लिए इसमें निवेश करना बेहद खतरनाक (जोखिम भरा) तो नहीं होगा?

आरजीईएसएस में, प्रतिभूति बाजार में किसी भी अन्य निवेशक की तरह ही निवेशक के साथ इक्विटी बाजार में पैसा खोने का जोखिम रहता है। योजना में निश्चित रिटर्न की कोई गारंटी नहीं दी जाती है। इसलिए, आरजीईएसएस के तहत निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि वे इक्विटी बाजार में कोई भी निवेश करने से पहले पूरी छानबीन कर लें। हालांकि, योजना की डिजाइन में पहली बार निवेशक करने वाले निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए लार्ज कैप स्टॉक का चयन करने में निवेश को सीमित करना, सकारात्मक बाजार निवेश का फायदा उठाने के लिए पर्याप्त लचीलापन के साथ लॉक-इन अवधि जैसे सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।

विविधीकरण (डाइवर्सिफिकेशन) और फलस्वरूप जोखिम न्यूनीकरण (मिनिमाइजेशन) का लाभ प्रदान करने के लिए, योजना में निर्धारित मानदंड के अनुसार एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) या म्यूचुअल फंड सेट अप में भी निवेश को योजना के तहत अनुमत किया गया है।

5. हमारे पास पहले से ही एक इक्विटी लिंक्ड बचत योजना (ईएलएसएस) है? हमें आरजीईएसएस की जरूरत क्यों हैं?

ईएलएसएस और आरजीईएसएस बिल्कुल ही दो अलग योजनाएं हैं: वे विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों से संबंधित हैं जिसमें ईएलएसएस निष्क्रिय (पैसिव) निवेश अवसरों की पेशकश करता है। ईएलएसएस शेयर बाजार में अप्रत्यक्ष भागीदारी के लिए समर्पित है, जबकि आरजीईएसएस का उद्देश्य शेयर बाजार में प्रत्यक्ष भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। परिचालन संबंधी अंतर नीचे दिए गए हैं:

परिचालन संबंधी अंतर	
ईएलएसएस	**आरजीईएसएस**
निवेश म्यूचुअल फंडों में होते हैं	निवेशों को म्यूचुअल फंड, ईटीएफ सहित सीधे सूचीबद्ध इक्विटी में या इक्विटी के एक संयोजन में किया जाता है
ईएलएसएस के तहत 100% कटौती (रु. 1,00,00 तक) की अनुमति है	आरजीईएसएस के तहत केवल 50% कटौती (अधिकतम रु. 25,000 तक) की अनुमति है।
ईएलएसएस का लाभ आयकर अधिनियम की धारा 80–सी से आता है जिसकी कुल सीमा सभी योग्य दस्तावेजों जैसे एलआईसी पॉलिसी, पीपीएफ, आदि के लिए रु. 1,00,000 की होती है	आरजीईएसएस कटौती धारा 80 सीसीजी के तहत उपलब्ध है। धारा 80 सी की सीमा से अधिक एवं ऊपर आरजीईएसएस के लिए विशेष रूप से अलग निवेश सीमा होती है।
3 वर्षों की लॉक–इन अवधि	3 वर्षों की लॉक–इन अवधि। हालांकि, शर्तों के अधीन एक वर्ष के बाद ट्रेडिंग अनुमत।
चूंकि निवेश म्यूचुअल फंडों में किए जाते हैं, तो इसे थोड़ा कम जोखिम भरा माना जाता है	चूंकि निवेशों को इक्विटी / जोखिम (रिस्क) / स्वामित्व पूंजी (ऑनरशिप कैपिटल) में किया जाता है, तो इसमें जोखिम अधिक होता है

6. अन्य कर (टैक्स) बचत योजनाओं की तुलना में आरजीईएसएस के लाभ/हाइलाइट क्या हैं?

आरजीईएसएस के निम्नलिखित लाभ हैं:

- आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत स्वीकृत रु.1 लाख की सीमा से अधिक एवं ऊपर धारा 80 सीसीजी के तहत कर कटौती की अनुमति है, जो इसे मध्यम वर्ग के निवेशकों के लिए आकर्षक बनाता है।
- इसके अलावा, लाभांश (डिविडेंड) आय भी कर से मुक्त होता है।
- कुछ निश्चित शर्तों के अधीन निवेश के पहले साल के बाद के हरेक सालों में लॉक–इन अवधि के बाद पोर्टफोलियो पर ट्रेड / मंथन करने के लिए निवेशक स्वतंत्र है।
- आरजीईएसएस योग्य प्रतिभूतियों के उच्च बाजार मूल्यांकन से उत्पन्न लाभों को एक साल के बाद प्राप्त किया जा सकता है। बाजार में सामान्य गिरावट से निवेशक को एक निश्चित सीमा तक सुरक्षित करने के लिए प्रावधान मौजूद हैं। इस मामले में यह सभी अन्य कर बचत (टैक्स सेविंग) उपायों से विशिष्ट और भिन्न है।
- आप लॉक–इन अवधि के बाद कुछ शेयरों को गिरवी रखकर या यहां तक कि बेचकर अपनी आपातकालीन जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। अपने स्वयं के आरजीईएसएस डीमैट खाते में रु. 50,000 तक के निवेश के लिए, यदि आप बेसिक सर्विस डीमैट खाता चुनते हैं, डीमैट खाते पर वार्षिक मेंटनेंस शुल्क शून्य होता है और रु. 2 लाख तक के निवेश के लिए रु.100 की राशि निर्धारित होती है।
- पहले वित्तीय वर्ष में जिसमें कटौती का दावा किया गया है, निवेश को किश्तों में किया जा सकता है।

II. योजना का कवरेज: आरजीईएसएस के तहत अनुमति प्राप्त निवेशक और निवेश

7. इस योजना के तहत कौन लोग कवर किए जाएंगे? नया निवेशक कौन है?

यह योजना उन सभी नए खुदरा निवेशकों के लिए खुली है जिनकी सकल वार्षिक आय रु. 10 लाख या उससे कम है। एक नया खुदरा निवेशक वह है:

- जो एक नागरिक (रेसिडेंट इंडीविजुअल) है (इसका लाभ कार्पोरेट संस्थाओं / ट्रस्टों आदि के द्वारा नहीं उठाया जा सकता है)
- जिसने कोई डीमैट खाता नहीं खोला है और जिसने आरजीईएसएस खाता खोलने की तिथि तक डेरिवेटिव सेगमेंट में कोई ट्रेडिंग भी नहीं की है।
- जिसने डीमैट खाता खोला है किंतु उस खाते को आरजीईएसएस के रूप में नामित करने तक इक्विटी में और / या डेरिवेटिव सेगमेंट में कोई लेनदेन नहीं किया है।

संयुक्त खातों के मामले में, केवल पहले खाताधारक को ही मौजूदा खुदरा निवेशक के रूप में माना जाएगा। पहले डीमैट खाताधारक से भिन्न सभी अन्य मौजूदा खाताधारकों (उदा., दूसरे / तीसरे खाताधारक या अन्य संयुक्त खाताधारक) या मौजूदा खाताधारकों के नॉमिनी को नया खाता खोलने के उद्देश्य से नए खुदरा निवेशकों के रूप में माना जाएगा, यदि वे अन्यथा रूप से पात्र हैं।

यदि पहले खाताधारक के रूप में डीमैट खाता खोला गया है लेकिन इक्विटी या डेरिवेटिव सेगमेंट में कोई लेनदेन नहीं है, तब भी पहला खाताधारक ही पात्र होता है।

नए खुदरा निवेशक को आरजीईएसएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए खाता खोलते वक्त या अपने मौजूदा डीमैट खाते को नामित करते समय डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के लिए फॉर्म 'ए' (प्रपत्र क) के अनुसार घोषणा प्रस्तुत करनी होती है।

प्रतिभूतियां जो कि वैसे किसी खाते में उसके बाद लाए जाने की पात्र होती हैं, वे स्वचालित रूप से रु. 50,000 की राशि तक लॉक-इन के अधीन होती हैं, जब तक कि निवेशक इस संबंध में निर्दिष्ट फॉर्म 'बी' (प्रपत्र ख) के माध्यम से अन्यथा रूप से निर्दिष्ट नहीं करता है।

8. मैं एक अनिवासी भारतीय हूं, क्या मैं आरजीईएसएस के लिए पात्र हूं?

नहीं।

9. मेरे पास पहले से ही म्यूचुअल फंड और / या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की यूनिट हैं; क्या मैं आरजीईएसएस के लिए पात्र हूं?

हां। म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में पूर्व में निवेश करने के चलते एक निवेशक इस योजना के लिए अयोग्य नहीं होता है। हालांकि, आपको आरजीईएसएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आरजीईएसएस योग्य म्यूचुअल फंड / ईटीएफ योजनाओं में नए सिरे से निवेश करने की और उन्हें एक डीमैट खाते में होल्ड करने की जरूरत होती है।

10. मेरे पास कुछ फिजिकल शेयर हैं; क्या मैं आरजीईएसएस के तहत पात्र हूं?

हां, आप एक नए निवेशक के रूप में माने जाएंगे, यदि अन्यथा रूप से पात्र हैं। हालांकि, आपको आरजीईएसएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए नए निवेश करने की जरूरत होगी। आप आरजीईएसएस के लाभों पर दावा करने के लिए योग्य नहीं होंगे यदि वे शेयर डिमैटेरियलाइज्ड हो गए हैं।

11. योजना के तहत उपलब्ध निवेश विकल्प क्या हैं? आरजीईएसएस के तहत योग्य प्रतिभूतियां (सिक्युरिटीज़) क्या हैं?

योजना के तहत निवेश विकल्प निम्नलिखित इक्विटी श्रेणियों के लिए सीमित होंगे*:

सूचीबद्ध इक्विटी शेयर

क. एनएसई और बीएसई के शीर्ष 100 स्टॉक यानी सीएनएक्स–100 / बीएसई–100 (इसका यह मतलब नहीं है कि एक व्यक्ति केवल एनएसई या बीएसई के माध्यम से ही ट्रेड कर सकता है। यदि बीएसई 100 या सीएनएक्स 100 में स्थापित प्रतिभूतियां उस किसी भी नए स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होती हैं और ट्रेड करती हैं जो बाद के दिनों में आ सकती हैं, वे भी आरजीईएसएस के लिए योग्य होंगी।)

ख. उन सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (पीएसयू) के स्टॉक जो सरकार द्वारा महारत्न, नवरत्न और मिनीरत्न के रूप में वगीकृत हैं

ग. (क) और / या (ख) में उन शेयरों का संयोजन जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं और ट्रेड किए जाते हैं और जो डिपॉजिटरी सिस्टम के माध्यम से व्यवस्थित किए जाते हैं (यानी यह माना जाता है कि अंतर्निहित रूप में (क) और / या (ख) में वर्णित आरजीईएसएस योग्य प्रतिभूतियों के साथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) या म्यूचुअल फंड (एमएफ) योजनाएं एक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं और ट्रेड कर रही हैं एवं एक डिपॉजिटरी मैकेनिज्म के माध्यम से व्यवस्थित हैं)

घ. (क) और (ख) के फॉलो–ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ)

ङ. उपरोक्त (ग) के नए फंड ऑफर (एनएफओ)

असूचीबद्ध इक्विटी शेयर

च. पीएसयू के इनिशियल पब्लिक ऑफर (आईपीओ) जो कि प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में सूचीबद्ध होने के लिए शेड्यूल होते हैं और जिसमें सरकार की कम से कम 51% हिस्सेदारी होती है और जिसका सालाना टर्नओवर पिछले तीन वर्षों में हरेक में रु. 4000 करोड़ से कम नहीं होता।

(* निवेश के समय लागू निवेश मापदंड)

12. इन योग्य शेयरों (स्टॉक) के बारे में जानकारी मुझे कहां से प्राप्त हो सकती है ?

योग्य प्रतिभूतियों की समेकित और अद्यतन सूची समय समय पर एक्सचेंज / डिपॉजिटरी / एएमएफआई की वेबसाइटों पर प्रकाशित होती है।

विस्तृत जानकारी के लिए सेबी, एनएसई, बीएसई, एनएसडीएल, सीडीएसएल और एएमएफआई की वेबसाइटों के प्रासंगिक पृष्ठ देखें।

योग्य आईपीओ के संबंध में, कंपनियां इस जानकारी को अपने ऑफर दस्तावेजों / सार्वजनिक विज्ञापनों में प्रकाशित करेंगी।

13. आरजीईएसएस निवेश शीर्ष 100 स्टॉक तक ही सीमित क्यों हैं ?

इस योजना को उन नए निवेशकों के लिए डिजाइन किया गया है जो पहली बार इक्विटी बाजार में जोखिम उठाने का साहस कर रहे हैं। निवेश का विकल्प बीएसई 100 या सीएनएक्स 100 में शामिल शेयरों और कुछ चयनित पीएसयू शेयरों के लिए सीमित है क्योंकि इनमें आमतौर पर अपेक्षाकृत कम अस्थिरता, उच्च नकदी (लिक्विडिटी) देखी जाती है, और इनके लिए बाजार में पर्याप्त मात्रा में रिपोर्टिंग और विश्लेषण मौजूद है। 100 स्टॉक का रेंज निवेशों के विविधीकरण (डाइवर्सिफिकेशन) के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है।

14. जब मैंने निवेश किया तो वह विशेष स्टॉक बीएसई 100 में सूचीबद्ध था; उसके बाद एक्सचेंज द्वारा उसे बीएसई 100 सूची से निकाल दिया गया; मेरे द्वारा अपना रिटर्न दाखिल करने पर, क्या मेरा निवेश अभी भी आरजीईएसएस के लिए पात्र है ?

एक स्टॉक को बीएसई 100 या सीएनएक्स 100 में केवल उस समय होना चाहिए जब निवेश किए गए थे। इसका मतलब यह है कि भले ही वह स्टॉक सीएनएक्स 100/बीएसई 100 से निकल जाता है, निवेशक आरजीईएसएस के अनुरूप होना समझा जाएगा। हालांकि, उसके अधिकार मात्र उन

स्टॉक को आरजीईएसएस पोर्टफोलियो से बेचने तक सीमित है। यदि वह पुनः खरीद करता है या मौजूदा स्टॉक में और जोड़ता है, तो अतिरिक्त स्टॉक को आरजीईएसएस पोर्टफोलियो के भाग के रूप में नहीं गिना जाएगा।

15. मैंने मार्च के महीने में आईपीओ के लिए आवेदन किया; हालांकि, कंपनी अप्रैल में यानी अगले वित्तीय वर्ष में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। क्या मेरा निवेश योग्य (उचित) है?

नहीं, एक निवेश को केवल तभी योग्य माना जाएगा यदि वह उसी वित्तीय वर्ष में सूचीबद्ध होने के लिए शेड्यूल है। मैं प्रतिभूति बाजार में अधिकतम कितनी राशि का निवेश कर सकता हूं?

16. क्या मैं उसे किश्तों में दे सकता हूं?

प्रतिभूति बाजार में आपके निवेश के लिए कोई अधिकतम निर्धारित सीमा नहीं है। हालांकि, आरजीईएसएस लाभ केवल रु. 50,000 तक की योग्य प्रतिभूतियों में निवेशों के लिए उपलब्ध होंगे। इस निवेश को किश्तों में दिया जा सकता है; हालांकि, केवल पहले वित्तीय वर्ष में किए गए निवेशों के लिए लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं जिसमें कि धारा 80 सीसीजी के तहत लाभ का दावा किया गया है। इसलिए, यदि आप किश्तों में निवेश कर रहे हैं, सुनिश्चित करें कि आप अपने सभी किश्त उसी एकल वित्तीय वर्ष (वह वर्ष जिसमें आप आरजीईएसएस के लिए अपना खाता खोलते / नामित करते हैं) में कर रहे हैं क्योंकि आरजीईएसएस के लिए बाद में किए गए निवेशों को नहीं गिना जाएगा।

17. आरजीईएसएस के तहत क्या मैं अपने निवेश को दो वित्तीय वर्षों में बांट सकता हूं और कटौती का दावा कर सकता हूं?

नहीं। केवल निवेश के पहले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निवेश को ही कटौती का दावा करने के लिए आरजीईएसएस के तहत निवेश के रूप में माना जा सकता है।

18. क्यों योजना इस योजना के लाभों को केवल पहले वर्ष के लिए सीमित करती है?

वैसे इस योजना को केवल पहली बार के नए निवेशकों के लिए डिजाइन किया गया है। चूंकि, वे बाजार में प्रवेश करने के पहले साल में 'नए' हो सकते हैं, तो इस योजना का लाभ उस विशेष लाभार्थी के लिए केवल एक वर्ष तक ही सीमित है, यानी उस एक एकल वित्तीय वर्ष में किए गए निवेश की सीमा तक ही कर लाभ प्राप्त किया जा सकता है जिसमें निवेशक आरजीईएसएस खाते को चुनने (ऑप्ट करने) के बाद आरजीईएसएस योग्य निवेश करताहै।

एक साल की सीमा धारा 80 सीसीजी के खंड 2 से भी उत्पन्न होती है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 में वित्त अधिनियम, 2012 के माध्यम से शामिल किया गया था।

> ***80 सीसीजी (2)*** *जहां एक कर-निर्धारिती (assessee) ने इस धारा के तहत किसी भी राशि के संदर्भ में किसी भी कर-निर्धारण (मूल्यांकन) वर्ष के लिए एक कटौती का दावा किया है और उसे अनुमति दी गई है, उसे किसी भी बाद के कर-निर्धारण वर्ष के लिए इस धारा के तहत किसी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।*

हालांकि, छोटे खुदरा निवेशकों की वित्तीय मजबूरियों पर विचार कर, योजना में पहले वित्तीय वर्ष में किश्तों में निवेश करने का लचीलापन प्रदान किया गया है।

19. आरजीईएसएस के तहत मैं कितनी कर (टैक्स) कटौती के लिए पात्र होऊंगा?

आप धारा 80 सीसीजी के तहत कुल निवेश की गई राशि के 50% पर कर कटौती के पात्र होंगे। मान लीजिए कि आपने आरजीईएसएस के तहत रु. 50,000 का निवेश किया है, तो आपकी कर योग्य आय से रु. 25,000 की राशि कर कटौती के लिए पात्र होगी। मान लीजिए कि आपने आरजीईएसएस के तहत रु. 40,000 की राशि का निवेश किया है, तो आपकी कर योग्य आय से रु. 20,000 की राशि कर कटौती के लिए पात्र होगी। यह कटौती धारा 80 सी के तहत निर्दिष्ट रु. 1 लाख की सीमा से अधिक एवं ऊपर पर होती है।

दूसरे शब्दों में, उन लोगों के लिए जो 10% आयकर स्लैब में आते हैं, आरजीईएसएस के तहत रु. 50,000 तक के निवेशों के लिए कर देयता से बचत (सेविंग्स) रु. 2500 (प्लस लागू उपकर (सेस)) होता है और वे लोग जो 20% आयकर स्लैब में आते हैं, कर देयता से बचत (सेविंग्स) रु. 5000 [प्लस लागू उपकर (सेस)] होता है।

20. मैंने धारा 80 सी के तहत पहले से ही कर लाभ का दावा किया है। क्या मैं आरजीईएसएस के तहत फायदा उठा सकता हूं?

हां, आप ले सकते हैं। आरजीईएसएस के लिए कर कटौती धारा 80 सीसीजी के तहत है और यह धारा 80 सी के तहत निर्दिष्ट रु. 1 लाख की सीमा से ऊपर व अधिक पर है। इसके अलावा, नागरिकों के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे आरजीईएसएस के लिए धारा 80 सीसीजी के तहत निवेश करने हेतु धारा 80 सी के तहत निर्दिष्ट रु. 1 लाख की सीमा को पूरा ही करें।

21. क्या मैं रु. 50,000 से अधिक का निवेश कर सकता हूं और आरजीईएसएस के तहत कर लाभ का दावा कर सकता हूं?

आप आरजीईएसएस के तहत नामित एक डीमैट खाते में किसी भी राशि का निवेश कर सकते हैं, लेकिन इस योजना के तहत लाभ का दावा केवल रु. 50,000 तक के निवेश पर ही किया जा सकता है। हालांकि, आपके पास आरजीईएसएस के तहत लाभों का दावा करने के लिए रु. 50,000 तक की राशि को लॉक-इन अवधि के अंतर्गत रखने के लिए शेयरों को चुनने की आजादी होती है। कृपया ध्यान दें कि डिपॉजिटरी पहले वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 50,000 तक की राशि पर उन सभी प्रतिभूतियों के लिए स्वचालित रूप से लॉक-इन होगा जो एक आरजीईएसएस नामित डीमैट खाते में आते हैं। इसलिए, सुनिश्चित करें कि आपने लेनदेन (ट्रांजेक्शन) की तिथि से एक महीने के भीतर फॉर्म बी (प्रपत्र ख) के माध्यम से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सूचित किया है, उन निवेशों के बारे में जिन्हें आप पहले वर्ष में आरजीईएसएस निवेश का भाग नहीं होने देना चाहते हैं, उस स्थिति में आपके पास उन प्रतिभूतियों को किसी भी समय बेचने / गिरवी रखने का अधिकार है। एक बार फॉर्म बी के माध्यम से आवेदन कर दिए जाने पर, उस विशेष प्रतिभूति को पहले वर्ष में कर लाभ हेतु दावा करते समय आरजीईएसएस के तहत वापस बेचा नहीं जा सकता है। लचीली लॉक-इन अवधि के बाद के वर्षों में, यदि वह शेयर अभी भी आरजीईएसएस प्रावधानों के तहत योग्य प्रतिभूति है, तो फिर उसे आरजीईएसएस पोर्टफोलियो के मूल्यांकन की दिशा में काउंट किया जाएगा भले ही उसकी स्थिति पहले वर्ष के दौरान एक 'योग्य प्रतिभूति' की हो।

22. मैंने कंपनी 'क' से शेयर खरीदे हैं जिसमें आरजीईएसएस के तहत रु. 70,000 की योग्य प्रतिभूति (सिक्युरिटी) शामिल है; मैं रु. 50,000/- से अधिक के निवेश को कैसे मुक्त कर सकता हूं?

यदि आपने आरजीईएसएस के तहत रु. 70,000/- के शेयर खरीदे हैं, तो डिपॉजिटरी केवल रु. 50,000/- तक की राशि को फिक्स्ड लॉक-इन में रखेगा। रु. 20,000 के शेयर लॉक-इन के तहत नहीं आएंगे। हालांकि, यदि आप शेयरों को लॉक-इन के अंतर्गत रखना चाहते हैं तो प्र. सं. 21 में वर्णित के रूप में डिपॉजिटरी को सूचित करें।

23. मुझे फॉर्म बी (प्रपत्र ख) कब सबमिट करना चाहिए? क्या कोई समय सीमा है?

यदि आप आरजीईएसएस के नियमों व शर्तों से बाहर कोई भी प्रतिभूति रखना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म बी (प्रपत्र ख) डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को सबमिट करने की जरूरत है। इसे प्रतिभूति की खरीद / आवंटन की तिथि से एक महीने के भीतर सबमिट किए जाने की जरूरत होती है।

अधिसूचना के अनुसार, डिपॉजिटरी को प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीस दिनों की अवधि के भीतर यानी 30 अप्रैल तक आरजीईएसएस लाभार्थियों के संबंध में आयकर विभाग को रिपोर्ट सबमिट करना होता है। इसलिए, डिपॉजिटरी द्वारा आयकर विभाग को आपके निवेशों पर गलत रिपोर्टिंग देने से बचाने के लिए, आपको मार्च के महीने के दौरान प्राप्त क्रेडिट के लिए जल्द से जल्द और विशेष रूप से 15 अप्रैल तक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के लिए फॉर्म बी में घोषणा सबमिट करने की सलाह दी जाती है।

24. क्या मैं फॉर्म बी में निर्दिष्ट पात्र प्रतिभूतियों में निवेश की गई राशि के संदर्भ में कर कटौती का दावा कर सकता हूं?

नहीं।

III. इस योजना में भाग लेना: प्रकियात्मक और परिचालन संबंधी मुद्दे

25. आरजीईएसएस योग्य निवेश कैसे करें?

किसी भी डीपी के साथ एक नया डीमैट खाता खोलें और उसे आरजीईएसएस के तहत नामित करें **या** फार्म ए (प्रपत्र क) के माध्यम से आरजीईएसएस के तहत अपने मौजूदा डीमैट खाते को नामित करें। *यदि आप बेसिक सर्विस डीमैट खाता सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप तदनुसार अपने खाते को नामित करने के लिए अपने डीपी को सूचित कर सकते हैं।*

आप शेयर बाजार में किसी भी योग्य शेयर में निवेश करने के लिए या योग्य आईपीओ के लिए आवेदन करने हेतु एक ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए किसी भी सेबी पंजीकृत शेयर दलाल से संपर्क कर सकते हैं।

यदि आप किसी भी वितरक के माध्यम से म्यूचुअल फंडों में निवेश कर रहे हैं, तो आपको डीमैट खाते में म्यूचुअल फंड यूनिटों की क्रेडिट प्राप्त करने के लिए बस डीमैट खाता संख्या और डीपी आईडी जैसे अपने डीमैट खाते के विवरण उपलब्ध कराने की जरूरत होती है।

योग्य प्रतिभूतियों के किसी भी आईपीओ/एनएफओ में निवेश करने के लिए, आप उसकी सदस्यता ले सकते हैं और डीमैट खाते में योग्य प्रतिभूतियों की क्रेडिट प्राप्त करने के लिए डीमैट खाता संख्या और डीपी आईडी जैसे अपने डीमैट खाते का विवरण प्रदान कर सकते हैं।

26. योग्य प्रतिभूतियों को धारित (होल्ड) करने का मोड क्या होगा?

आरजीईएसएस के तहत योग्य प्रतिभूतियों की होल्डिंग का मोड एक 'डीमैट खाते' में होगा। आप आरजीईएसएस का लाभ लेने के लिए भौतिक रूप में प्रतिभूतियों को होल्ड नहीं कर सकते हैं।

27. क्या मुझे अपने म्यूचुअल फंड / ईटीएफ यूनिट को डीमैट फॉर्म में भी प्राप्त करने की जरूरत होगी?

हां। डीमैट फॉर्म में अपने म्यूचुअल फंड यूनिटों को प्राप्त करने के लिए, अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी या आरटीए के साथ एक अनुरोध करें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया सीडीएसएल और एनएसडीएल के निर्देश / मार्गदर्शन देखें।

28. क्या निवेशक को आरजीईएसएस के लाभ उठाने के लिए एक समर्पित डीमैट खाता खोलने की जरूरत है? क्या मैं अन्य प्रतिभूतियों यानी आरजीईएसएस के लिए नामित अपने डीमैट खाते में योग्य प्रतिभूतियों से भिन्न को धारण कर सकता हूं?

आरजीईएसएस का लाभ उठाने के लिए एक अलग समर्पित खाता खोलने की कोई जरूरत नहीं है। वह डीमैट खाता जिसके माध्यम से आरजीईएसएस लाभ प्राप्त किए जा रहे हैं, का इस्तेमाल आरजीईएसएस–कंप्लायंट प्रतिभूतियों से भिन्न शेयरों/प्रतिभूतियों को रखने के लिए किया जा सकता है। आरजीईएसएस–कंप्लायंट प्रतिभूतियों से भिन्न शेयरों में निवेश आरजीईएसएस की शर्तों का विषय नहीं होगा, और न हीं आरजीईएसएस के तहत कर लाभों को बढ़ाने के लिए काउंट किया जाएगा।

29. क्या ऑफ़ मार्केट ट्रेड के माध्यम से या आरजीईएसएस के तहत दावा लाभों के लिए योग्य डीमैटेरियलाइजेशन के माध्यम से मेरे डीमैट खाते में क्रेडिट प्राप्त होता है?

नहीं। हालांकि, लचीले लॉक–इन के वर्षों में (यानी, पहले साल के बाद) सभी आरजीईएसएस योग्य प्रतिभूतियां योजना के साथ निवेशक के अनुपालन में जांच हेतु काउंट की जाएंगी, भले ही वह ऑफ मार्केट अधिग्रहीत (एक्वायर्ड) की गई हों या डीमैटेरियलाइजेशन के माध्यम से आई हों।

30. एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) के साथ आरजीईएसएस डीमैट खाता कैसे खोलें?

आप आरजीईएसएस के तहत एक डीमैट खाता खोलने के लिए किसी भी पंजीकृत डीपी से संपर्क कर सकते हैं। एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ पंजीकृत डीपी की सूची यहां देखी जा सकती है।

आपको सेबी द्वारा निर्धारित अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) मानदंड पूरा करने के लिए अपने पहचान का प्रमाण, पते का प्रमाण, आदि प्रस्तुत करने और उस डीपी को पैन नं. प्रदान करने की आवश्यकता होती है जिसके साथ आप एक डीमैट खाता खोलना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको आरजीईएसएस लाभों को प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप (यानी 'फॉर्म ए') में घोषणा भी प्रस्तुत करना होता है।

अधिक जानकारी के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल द्वारा दिए गए सामान्य प्रश्नों (एफएक्यू) के उत्तर देखें।

31. एक ट्रेडिंग खाता कैसे खोलें?

आप पूंजी बाजार से संबंधित अपने लेनदेन करने के लिए सेबी के साथ पंजीकृत एक ब्रोकर (ट्रेडिंग मेंबर) या सब-ब्रोकर से संपर्क कर सकते हैं। सेबी की वेबसाइट पर पंजीकृत ब्रोकरों / सब-ब्रोकरों की सूची देखें।

32. एक डीमैट / ट्रेडिंग खाता खोलने के लिए मुझे किन दस्तावेजों को देने की जरूरत है?

आपको निर्धारित खाता खोलने के फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होगा। यदि आप अन्य व्यक्ति(यों) के साथ संयुक्त रूप से खाता खोलना चाहते हैं, तो सभी खाताधारकों के लिए निम्नलिखित प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

सभी के लिए पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति और पासपोर्ट आकार के फोटो अनिवार्य होते हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों की प्रतियां स्व-प्रमाणित होनी चाहिए और सत्यापन के लिए मूल प्रति के साथ लाई जानी चाहिए। यदि सत्यापन के लिए किसी दस्तावेज की मूल प्रति प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो उनकी प्रतियां वैसी संस्थाओं द्वारा उपयुक्त रूप से प्रमाणित होनी चाहिए जो दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत हैं।

i पहचान का प्रमाण (पीओआई)

- पासपोर्ट
- वोटर आईडी काड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- फोटोग्राफ के साथ पैन कार्ड
- आधार (यूनिक आईडी) लेटर
- आवेदक के फोटो के साथ पहचान पत्र/दस्तावेज जो निम्न द्वारा जारी किया गया हो: क) केंद्र/राज्य सरकार और उसके विभाग, ख) कानूनी/नियामक प्राधिकरण, ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, घ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ङ) सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, च) विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध महाविद्यालय (इसे केवल तभी तक वैध माना जा सकता है यदि आवेदक एक छात्र है), छ) व्यावसायिक निकाय जैसे कि आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, आईसीएसआई, बार काउंसिल आदि, उनके सदस्य; और ज) बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड

ii पते का प्रमाण (पीओए)

- राशन कार्ड
- पासपोर्ट
- वोटर आईडी कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- बैंक पासबुक

- बिजली बिल, गैस बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं)/ मकान का टेलीफोन बिल (दो महीने से अधिक पुराना नहीं)/ मकान का रजिस्टर्ड लीज या बिक्री अनुबंध (सेल एग्रीमेंट)/ फ्लैट मेंटनेंस बिल/ बीमा आदि की सत्यापित प्रतिलिपियां
- बैंक खाता विवरण / पासबुक
- अपने स्वयं के खातों के संदर्भ में नया पता देने के लिए, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा स्व–घोषणा (सेल्फ–डिक्लेरेशन)।
- निम्नलिखित में से किसी के द्वारा भी जारी पते का प्रमाण: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ अनुसूचित सहकारी बैंक/ बहुराष्ट्रीय विदेशी बैंकों के बैंक प्रबंधक / राजपत्रित अधिकारी/ नोटरी पब्लिक/ विधानसभा/ संसद के निर्वाचित प्रतिनिधि/ किसी भी सरकारी या वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी दस्तावेज।
- पते के साथ पहचान पत्र/दस्तावेज जो निम्न द्वारा जारी किया गया हो: क) केंद्र/राज्य सरकार और उसके विभाग, ख) कानूनी/नियामक प्राधिकरण, ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, घ) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, ङ) सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, च) विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध महाविद्यालय (इसे केवल तभी तक वैध माना जा सकता है यदि आवेदक एक छात्र है); और छ) व्यावसायिक निकाय जैसे कि आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूएआई, बार काउंसिल आदि, उनके सदस्य।

दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों की सूची: नोटरी पब्लिक, राजपत्रित अधिकारी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ अनुसूचित सहकारी बैंक या बहुराष्ट्रीय विदेशी बैंकों के प्रबंधक (दस्तावेज की प्रतिलिपि पर उनका नाम, पदनाम और मुहर लगा होना चाहिए)।

आपको अपने डीपी / ट्रेडिंग मेंबर के समक्ष सत्यापन के लिए मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने हेतु ले जाना याद रखना चाहिए। आपका खाता खोलने के वक्त आपके डीपी / ट्रेडिंग मेंबर खाताधारक(कों) का 'वैयक्तिक रूप से सत्यापन' करेंगे। आपको अपने भविष्य के संदर्भ के लिए अनुबंध की एक प्रति और शुल्कों की सूची प्राप्त करना नहीं भूलना चाहिए।

आपके डीपी / ट्रेडिंग मेंबर आपसे पहचान / पता का अतिरिक्त प्रमाण मांग सकते हैं।

33. मैं पैन मुक्त श्रेणी (सिक्किम का निवासी) से आता हूं, क्या मैं बिना पैन के एक आरजीईएसएस खाता खोल सकता हूं?

आरजीईएसएस के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, पैन अनिवार्य कर दिया गया है भले ही आप पैन मुक्त श्रेणी से आते हों। एक पैन कार्ड प्राप्त करने हेतु अधिक जानकारी के लिए यहां देखें।

34. क्या मुझे अपने ट्रेडिंग और डीमैट खातों हेतु इंटरनेट एक्सेस के लिए पूछना चाहिए?

हां, यह बेहतर होगा। इससे आपको अपने खाते और उसमें रखी हुई प्रतिभूतियों के मूल्य को रीयल टाइम ट्रैक करने में सुविधा होगी।

35. क्या मैं आरजीईएसएस के तहत एक मौजूदा डीमैट खाते को नामित कर सकता हूं?

हां, आप आरजीईएसएस के तहत एक 'नए खुदरा निवेशक' के रूप में पात्र हैं। आरजीईएसएस के तहत अपने मौजूदा डीमैट खाते को नामित करने के लिए, आपको अपने डीपी को निर्धारित प्रारूप (यानी 'फॉर्म ए') में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की जरूरत होती है।

36. मुझे 'फॉर्म ए (प्रपत्र क)' फॉर्म 'बी' (प्रपत्र ख), आदि कहां से मिलेगा?

आप अपने डीपी से फार्म 'ए' और फॉर्म 'बी' प्राप्त कर सकते हैं या इसे सीधे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें।

37. क्या मैं आरजीईएसएस के लिए एक से अधिक डीमैट खाते नामित या खोल सकता हूं?

नहीं। आपके पास डिपॉजिटरी (यानी, एनएसडीएल / सीडीएसएल) भर में आरजीईएसएस के तहत केवल एक डीमैट खाता हो सकता है।

38. आरजीईएसएस के लिए क्या कोई कम लागत वाला डीमैट खाता भी है ?

व्यापक वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से, खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए डीमैट खातों के धारण (होल्डिंग) को प्रोत्साहित करने और डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को बनाए रखने की लागत को कम करने के लिए, दिनांक 27 अगस्त 2012 को यह निर्णय लिया गया कि सभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) उन सभी व्यक्तियों के लिए एक 'बेसिक सर्विसेज डीमैट खाता' (बीएसडीए) उपलब्ध कराएंगे जिनके पास केवल एक डीमैट खाता है या जिन्होंने केवल एक के लिए निवेदन किया है, जहां वे स्वयं या प्रथम खाताधारक हैं और उनके उस डीमैट खाते में धारित प्रतिभूतियों का मूल्य किसी भी समय में रुपये 2 लाख से अधिक न रहा हो। वैसे डीमैट खातों के लिए डीपी द्वारा कोई भी वार्षिक मेंटनेंस शुल्क (एएमसी) नहीं लगाया जाएगा, यदि धारण (होल्डिंग) का मूल्य रु. 50,000 तक है। रु. 50,001 से लेकर रु. 200,000 तक के धारण (होल्डिंग) के मूल्य के लिए, अधिकतम एएमसी रु. 100 से अधिक नहीं होगी। पहली बार के निवेशक बीएसडीए का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आरजीईएसएस खाते को एक बीएसडीए खाते के रूप में नामित करने के द्वारा इक्विटी बाजार में परिचालन की लागतों (खर्चों) को कम कर सकते हैं।

विभिन्न डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ डीमैट खातों को खोलने हेतु तुलनात्मक शुल्कों को संबंधित डिपॉजिटरी – एनएसडीएल और सीडीएसएल – की वेबसाइटों पर देखा जा सकता है।

39. प्रतिभूति बाजार में सक्रिय होने पर (यानी उसे ऑपरेट करते समय), 'करने वाली (Do's)' और 'नहीं करने वाली (Don'ts)' कौन सी चीजें हैं ?

कृपया इस संबंध में सेबी दिशानिर्देशों को देखें। कृपया सुरक्षा परामर्शों के लिए बीएसई और एनएसई एक्सचेंजों की वेबसाइट देखें। एनएसडीएल और सीडीएसएल की निवेशक गाइड भी देखें।

निवेशकों की जानकारी के लिए सेबी एक अद्यतन और व्यापक वेबसाइट (www.investor.sebi.gov.in/) का प्रबंधन करता है। कृपया प्रतिभूति बाजार में निवेश करने से पहले वहां दी गई सामग्री को विस्तार से पढ़ें।

40. प्रतिभूति बाजार में अपने लेनदेन (ट्रांजेक्शन) के संबंध में मैं अपनी शिकायत कहां दर्ज कर सकता हूं?

किसी भी शिकायत की स्थिति में आपको सबसे पहले उस व्यक्ति/कंपनी के बारे में शिकायत लेकर संबंधित कंपनी / मध्यस्थ के पास जाना चाहिए। सेबी ने सभी स्टॉक एक्सचेंजों, पंजीकृत ब्रोकरों, सब-ब्रोकरों, डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंडों और सूचीबद्ध कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे निवेशकों की शिकायत पंजीकृत करने के उद्देश्य से शिकायत निवारण डिवीजन/ अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस ऑफिसर) की विशेष ईमेल आईडी का प्रावधान प्रदान करें।

यदि शिकायत का निवारण कंपनी / मध्यस्थ के स्तर पर नहीं होता है, तो आप संबंधित डिपॉजिटरी / एक्सचेंज से संपर्क कर सकते हैं।

डिपॉजिटरी और स्टॉक एक्सचेंजों ने प्रतिभूति बाजार से संबंधित निवेशक की शिकायतों के तेजी से निपटारे के लिए निवेशक शिकायत निवारण कक्षों की स्थापना की है। एक्सचेंजों ने डिफॉल्टर ब्रोकरों के खिलाफ निवेशकों के दावों को पूरा करने के लिए एक निवेशक संरक्षण निधि (इंवेस्टर प्रोटेक्शन फंड – आईपीएफ) की स्थापना भी की है; ब्रोकर/ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और निवेशकों के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया में भी एक्सचेंज और डिपॉजिटरी मदद करते हैं।

कृपया निवेशक शिकायत निवारण तंत्र के विवरण के संदर्भ में बीएसई और एनएसई एक्सचेंजों और एनएसडीएल व सीडीएसएल डिपॉजिटरी की वेबसाइटें देखें।

यदि शिकायतों का निवारण एक्सचेंजों / डिपॉजिटरी के स्तर पर नहीं होता है, तो आप बाजार नियामक सेबी के समक्ष अपनी शिकायत बढ़ा सकते हैं। सेबी प्रतिभूतियों को जारी और स्थानांतरित करने एवं सूचीबद्ध कंपनियों के साथ लाभांश के गैर-भुगतान से संबंधित शिकायतों की सीधे भी सुनवाई करता है। इसके अलावा, सेबी अपने साथ पंजीकृत विभिन्न बिचौलियों (इंटरमीडियरी) जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक ब्रोकर और संबंधित मुद्दों के खिलाफ

भी शिकायतें ले सकता है। सेबी ने जारी प्रक्रिया से उत्पन्न निवेशक शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र की स्थापना भी की है।

8 जून 2011 को सेबी ने स्कोर्स (सेबी शिकायत निवारण प्रणाली) नामक एक नए वेब आधारित सेंट्रलाइज्ड शिकायत निवारण प्रणाली को शुरू किया। इस नई प्रणाली में, शिकायत दर्ज करने से प्रारंभ कर सेबी द्वारा उसके क्लोजर तक की सभी गतिविधियां एक स्वचालित वातावरण में ऑनलाइन होती हैं और प्रत्येक शिकायत की स्थिति को किसी भी समय उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। एक निवेशक जो स्कोर्स से परिचित नहीं है या जिसके पास स्कोर्स तक पहुंच नहीं है, वह भौतिक रूप से भी शिकायतों को दर्ज कर सकता है। वैसी शिकायतों को स्कैन कर प्रोसेसिंग के लिए स्कोर्स पर अपलोड किया जाता है। उपरोक्त को देखते हुए, प्राप्त हुई सभी शिकायतें उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्शन टेकेन (की गई कार्रवाई) रिपोर्टों के ऑनलाइन अद्यतन की सुविधा के साथ इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो जाएंगी।

निवेशक अपनी क्वेरी/सवालों को asksebi@sebi.gov.in मेल कर सकते हैं और उनकी क्वेरी/सवालों का उत्तर दिया जाता है।

टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा नंबर **1800 22 7575 / 1800 266 7575** भारत भर के सभी निवेशकों के लिए 14 भाषाओं अर्थात अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली, मलयालम, तेलुगू, उर्दू, उडिया, पंजाबी, कन्नड, असामिज और कश्मीरी में उपलब्ध हैं। टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा सभी दिनों (घोषित छुट्टियों/अवकाशों को छोडक़र) में सुबह 9:30 से सायं 5:30 बजे तक उपलब्ध है। इसके अलावा, सेबी ने विभिन्न स्थानों में निवेशकों को सेवा प्रदान करने के लिए बंगलुरू, भुवनेश्वर, चंडीगढ, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोच्चि, लखनऊ और पटना में स्थानीय कार्यालय खोले हैं।

आप अपनी शिकायतों के निवारण / अपने सुझाव देने के लिए कैपिटल मार्केट डिवीजन, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय से भी संपर्क कर सकते हैं।

IV. आरजीईएसएस के तहत लॉक-इन स्थितियों का कार्यान्वयन और प्रतिभूतियों का मूल्यांकन

41. कर लाभ प्राप्त करने के लिए आरजीईएसएस के तहत किए गए शुरूआती निवेश के मूल्यांकन के लिए आधार क्या होगा?

आरजीईएसएस के तहत कर लाभ प्राप्त करने के लिए, रु. 50,000 तक के आरंभिक निवेशों का मूल्यांकन योग्य प्रतिभूतियों के अधिग्रहण की लागत के आधार पर किया जाएगा। इसका अर्थ है कि इसमें ब्रोकरेज शुल्क, प्रतिभूति लेनदेन कर, स्टाम्प शुल्क, सेवा कर और वे सभी कर शामिल नहीं होते हैं जो स्टॉक ब्रोकर द्वारा जारी किए गए अनुबंध नोट में प्रकट होते हैं। अधिग्रहण की लागत (या वह कीमत जिस पर निर्दिष्ट मात्रा खरीदी गई थी) को उस स्टॉक एक्सचेंज से डिपॉजिटरी द्वारा लिया जाता है जिस पर लेनदेन किया गया है। आप डिपॉजिटरी द्वारा की गई प्रविष्टियों की पुष्टि, ब्रोकर द्वारा अनुबंध नोट में आपको दी गई जानकारी का प्रयोग करके 'आरजीईएसएस के तहत आरंभिक निवेश' के रूप में कर सकते हैं।

42. आरजीईएसएस के तहत किए गए निवेश के लिए अवधारण अवधि (होल्डिंग पीरियड) क्या है?

आरजीईएसएस के तहत निवेश होल्डिंग अवधि तीन वर्ष है जिसमें एक वर्ष की 'फिक्स्ड लॉक-इन' और दो वर्ष की 'लचीली लॉक-इन' अवधि शामिल होती है।

उदाहरण:

मान लीजिए कि आपने एक आरजीईएसएस नामित डीमैट खाते में 31 दिसंबर, 2012 को रु. 50,000 मूल्य की योग्य प्रतिभूतियां खरीदीं। योग्य प्रतिभूतियां 30 दिसंबर 2013 तक 'फिक्स्ड लॉक-इन' में और 30 दिसंबर 2015 तक 'लचीली लॉक-इन' में रहेंगी।

यदि आप तीन वर्ष के भीतर आरजीईएसएस के तहत किए गए निवेश को बेचने का इरादा रखते हैं, तो इसे निश्चित शर्तों के अधीन केवल *'फिक्स्ड लॉक-इन'* अवधि के पूरा होने के बाद ही किया जा सकता है। एक बार में और किश्तों में किए गए निवेशों के मामले में लॉक-इन समय लाइनों को नीचे दिए गए ग्राफ में चित्रित किया गया है।

आरजीईएसएस लॉक–इन अवधि यदि निवेश एक बार में किए गए हैं

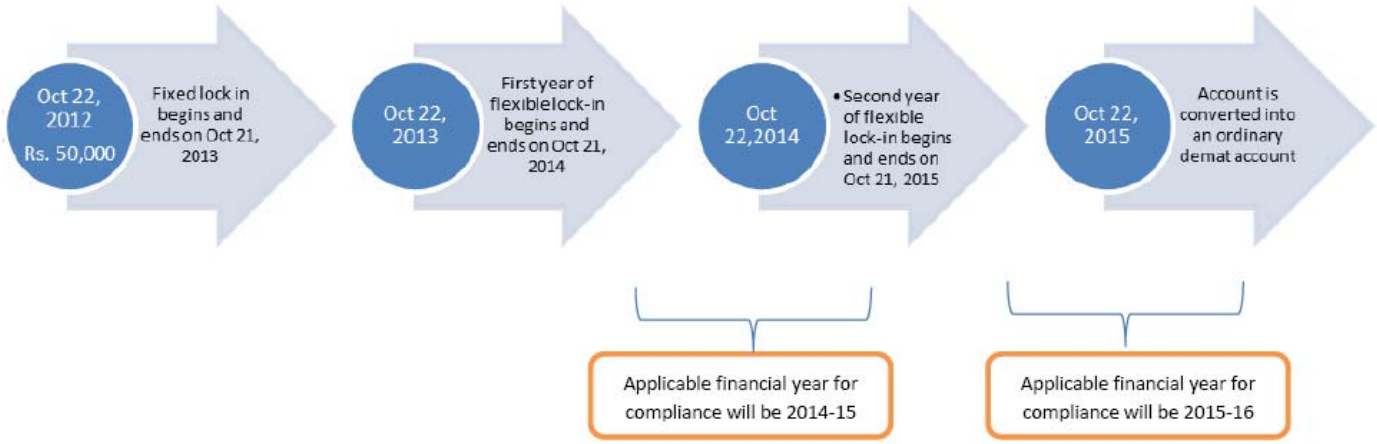

आरजीईएसएस लॉक–इन अवधि यदि निवेश किश्तों के रूप में किए गए हैं

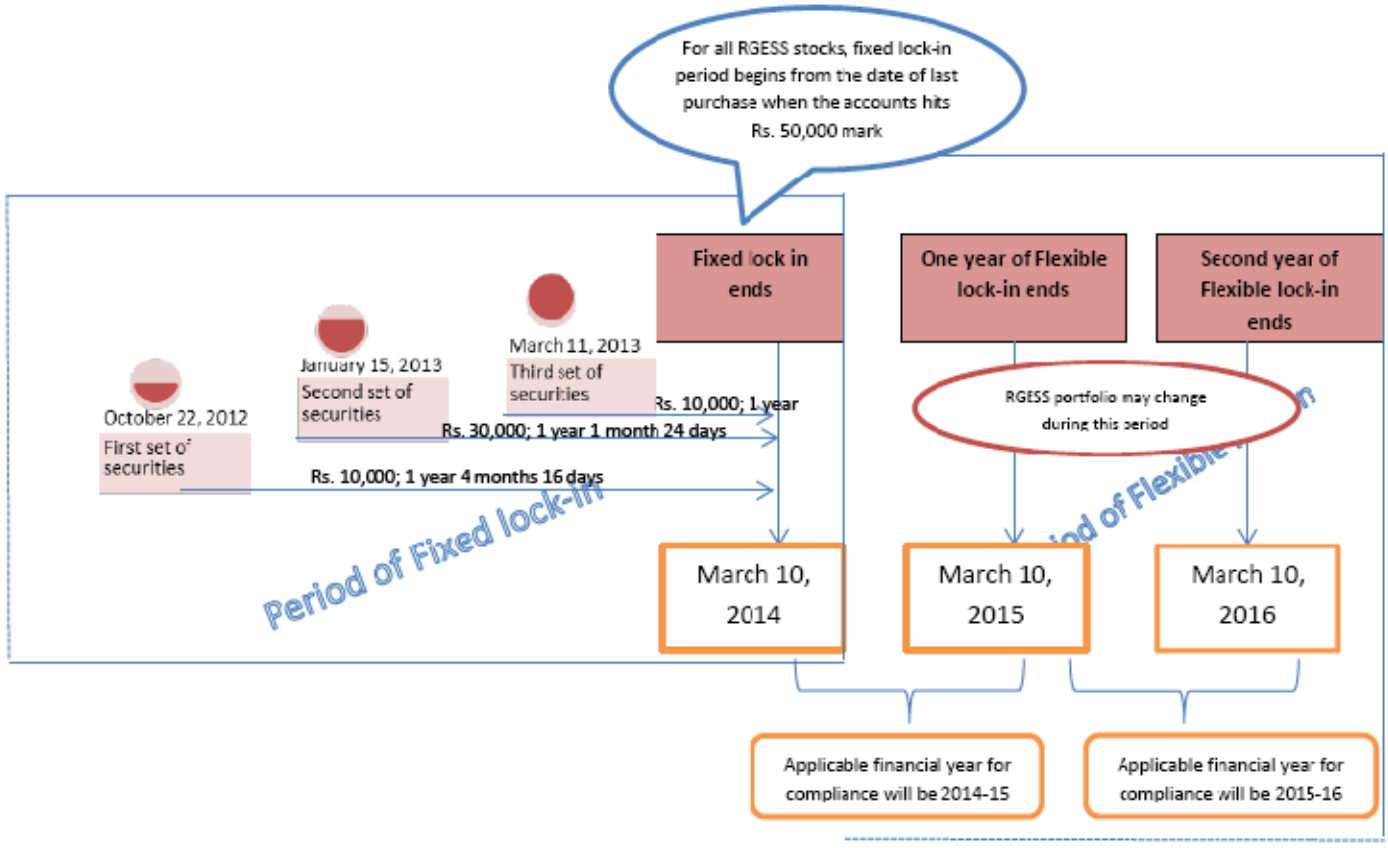

सभी आरजीईएसएस स्टॉकों के लिए, फिक्स्ड लॉक–इन अवधि अंतिम खरीद की तिथि से शुरू होती है जब खाता रु. 50,000 के स्तर पर पहुंचता है

43. 'फिक्स्ड लॉक–इन' अवधि क्या है?

'फिक्स्ड लॉक–इन' अवधि प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में योग्य प्रतिभूतियों के प्रथम सेट की खरीद की तिथि से शुरू होगी और (उसी वित्तीय वर्ष में) योग्य प्रतिभूतियों के अंतिम सेट की खरीद की तिथि से एक साल बाद समाप्त होगी। निवेशक को इस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों को बेचने / गिरवी रखने की अनुमति नहीं है।

उदाहरण:

यदि आपने एक आरजीईएसएस नामित डीमैट खाते में 25 दिसंबर 2012 को रु. 20,000 मूल्य की योग्य प्रतिभूतियों का पहला सेट खरीदा है, और 31 दिसंबर 2012 को रु. 20,000 मूल्य की योग्य प्रतिभूतियों का अगला सेट खरीदा है, तो योग्य प्रतिभूतियों के दोनों सेटों के लिए 'फिक्स्ड लॉक–इन' अवधि 25 दिसंबर 2012 से शुरू होगी और 30 दिसंबर 2013 को समाप्त होगी।

44. लॉक–इन अवधि कब शुरू होती है? खरीद की तिथि से या डीमैट खाते में प्रतिभूति के जमा (क्रेडिट) होने की तिथि से?

चूँकि खरीद की तिथि और क्रेडिट की तिथि के बीच एक समय अंतराल हो सकता है, अतः फिक्स्ड लॉक–इन अवधि प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के दौरान डीमैट खाते में ऐसी प्रतिभूतियों की 'क्रेडिट ' की तिथि से शुरू होगी और उसी वित्तीय वर्ष में योग्य प्रतिभूतियों के अंतिम सेट की 'क्रेडिट' की तिथि से एक वर्ष बाद समाप्त होगी जिस पर इस योजना के तहत कटौती की गई है।

45. यदि फिक्स्ड लॉक–इन केवल आरजीईएसएस के तहत प्रतिभूति की प्राप्ति के अंतिम दिन से काउंट होता है, तो क्या वह तीन वर्षों से अधिक के लिए लॉक–इन में नहीं बदल जाएगा?

यदि निवेश किश्तों में किया गया है, तो पहली किश्त के लिए लॉक–इन अवधि एक वर्ष से अधिक होगी। चूँकि निवेशक को लगभग 90 दिनों के लिए लचीलापन (कोई लॉक–इन नहीं) दिया जाता है, अतः कुछ प्रतिभूतियों के लिए प्रथम वर्ष में इस अतिरिक्त लॉक–इन अवधि का ध्यान रखा जाना चाहिए।

46. क्या मैं 'फिक्स्ड लॉक–इन' अवधि के दौरान आरजीईएसएस के लिए घोषित पात्र प्रतिभूतियों को बेच / गिरवी रख सकता हूं?

नहीं। आपको 'फिक्स्ड लॉक–इन' अवधि के दौरान योग्य प्रतिभूतियों को बेचने, गिरवी रखने या रेहन रखने की अनुमति नहीं है।

47. 'लचीली लॉक–इन' अवधि क्या है?

फिक्स्ड लॉक–इन अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद शुरु होने वाली दो साल की अवधि को 'लचीली लॉक–इन' अवधि कहा जाएगा।

48. क्या मैं लचीली लॉक–इन अवधि में ट्रेड / बिक्री कर सकता हूं?

'लचीली लॉक–इन' अवधि के दौरान, आप योग्य प्रतिभूतियों का ट्रेड (बिक्री/खरीदी) कर सकते हैं और आरजीईएसएस के तहत कर लाभ का दावा करने के योग्य हो सकते हैं, बशर्ते कि आरजीईएसएस डीमैट खाता, लचीली लॉक–इन अवधि के दो वर्षों में से प्रत्येक के दौरान न्यूनतम दो सौ सत्तर दिनों की एक संचयी अवधि के लिए अपुरूप (कंप्लायंट) हो। इसका अर्थ है कि आपको अपने पोर्टफोलियो का मंथन करने के लिए लगभग एक तिमाही का समय मिलता है।

49. लचीली लॉक-इन अवधि के दौरान प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है ?

लचीली लॉक-इन अवधि के दौरान योग्य प्रतिभूतियों के निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य पर विचार करते समय, प्रतिभूतियों की निम्नलिखित शेष राशि को **'ट्रेडिंग' की तिथि से पिछले दिन** के समापन मूल्य (क्लोजिंग प्राइस) पर माना जाएगा (जो किसी भी दिन की ट्रेडिंग अवधि के दौरान निवेशक के डीमैट खाते में पोर्टफोलियो के मूल्य के रूप में प्रदर्शित होगा; यह निवेशकों द्वारा निर्णय प्रकिया को आसान बनाने के लिए किया जाता है)। ट्रेडिंग की तिथि, स्टॉक एक्सचेंजों से सीधे डिपोजिटरी द्वारा प्राप्त की जाती है।

प्रतिभूतियों की शेष राशियाँ, जो मूल्यांकन की तिथि पर एक 'योग्य प्रतिभूति' के रूप में अपनी स्थिति के बावजूद, पहले वित्तीय वर्ष में फिक्स्ड लॉक-इन अवधि के अंतर्गत थीं (इसका अर्थ है कि भले ही प्रतिभूति सीएनएक्स 100 या बीएसई 100 सूची से बाहर निकल गई हो, यदि यह फिक्स्ड लॉक-इन का एक भाग थी और अभी भी खाते में बनी हुई है, तो इसे आरजीईएसएस पोर्टफोलियो के मूल्यांकन की दिशा में माना जाएगा)।

क. प्रतिभूतियों की शेष राशियाँ, जो मूल्यांकन की तिथि पर योग्य प्रतिभूतियों की सूची में दिखाई देती हैं, तथापि वे उन प्रतिभूतियों का भाग नहीं होती हैं जो फिक्स्ड लॉक-इन अवधि के अंतर्गत थीं। ये प्रतिभूतियां निवेशक द्वारा फिक्स्ड लॉक-इन अवधि के दौरान या बाद में खरीदी हुई हो सकती हैं।

ख. फिक्स्ड लॉक-इन के अंतर्गत योग्य प्रतिभूतियों पर कॉर्पोरेट कार्रवाई के मामले में, जिससे प्रतिभूतियों की अतिरिक्त क्रेडिट बोनस/अधिकारों के माध्यम से प्राप्त होती है, उसे फिक्स्ड लॉक-इन अवधि के साथ साथ लचीली लॉक-इन अवधि के लिए एक योग्य निवेश के रूप में माना जाएगा।

50. डिपॉजिटरी द्वारा अपनाए गए सामान्य मूल्यांकन सिद्धांत की तुलना में आरजीईएसएस योग्य प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में क्या कोई अंतर है ?

हां। आरजीईएसएस के तहत कर लाभों का दावा करने के लिए आरंभिक निवेशों का मूल्यांकन प्रश्न नं. 41 में वर्णित है। लचीली लॉक-इन अवधि के दौरान प्रतिभूतियों के लिए मूल्यांकन मानदंड प्रश्न नं. 49 में वर्णित हैं।

डिपोजिटरी सामान्यतः प्रतिभूतियों को उस दिन के लिए एक्सचेंजों में (सीडीएसएल के लिए बीएसई पर अंतिम मूल्य लिया जाता है; एनएसडीएल के लिए एनएसई पर अंतिम मूल्य लिया जाता है) प्रतिभूतियों के अंतिम मूल्य के आधार पर डीमैट खाते में मूल्यांकित करते हैं। उसे ही प्रतिदिन बाजार के बंद होने के बाद अद्यतन किया जाता है। चूँकि आरजीईएसएस मूल्यांकन, प्रारंभिक निवेश के लिए अधिग्रहण के वास्तविक मूल्य पर और लचीली लॉक-इन अवधि के दौरान पिछले दिन के अंतिम मूल्य पर किया जाता है, इसलिए यह डिपोजिटरी द्वारा अन्य प्रतिभूतियों के लिए किये गए सामान्य मूल्यांकन से भिन्न होता है।

हालांकि, आरजीईएसएस लाभार्थियों के लिए, डिपोजिटरी आरजीईएसएस के तहत किए गए प्रारंभिक निवेश के मूल्य को और उसके आरजीईएसएस पोर्टफोलियो के मूल्य को दैनिक आधार पर अलग से प्रदर्शित करेंगे।

51. तीन वर्षीय लॉक-इन स्थिति का कार्यान्वयन कैसे किया जाता है ?

इस योजना के तहत किए गए निवेश के लिए कुल लॉक-इन अवधि आरजीईएसएस के तहत प्रतिभूतियों की अंतिम खरीद की तिथि से शुरू होकर एक वर्ष की फिक्स्ड लॉक-इन अवधि सहित तीन वर्षों की होगी।

प्रथम वर्ष के बाद, निवेशकों को एक इक्विटी संस्कृति को बढ़ावा देने के लक्ष्य को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें विपरीत बाजार गतिविधियों या स्टॉक विशिष्ट जोखिमों से बचाने के लिए एक प्रावधान के रूप में भी, और उन्हें लाभ प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु भी ट्रेड करने की अनुमति होगी।

हालांकि, निवेशकों को उस राशि पर जिसके लिए उन्होंने आयकर लाभ का दावा किया है या एक बिक्री लेनदेन शुरू करने से पहले पोर्टफोलियो के मूल्य पर, जो भी कम हो, एक वर्ष में कम से कम 270 दिनों के लिए, इन दो वर्षों के दौरान अपने निवेश के स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इस प्रक्रिया को नीचे स्पष्ट किया गया है:

क. आरजीईएसएस खाते को **तब तक अनुरूप (कंप्लायंट) माना जाएगा जब तक ऐसी एक ट्रेडिंग (बिक्री) की जाती है** जो बिक्री की तिथि पर आरजीईएसएस पोर्टफोलियो के लिए उस राशि से कम कीमत प्रदान करती है जिसके लिए आरजीईएसएस के तहत लाभों का दावा दिया गया है, जब मूल्यांकन ट्रेडिंग के पूर्ववती दिन पर स्टॉक/इकाई के अंतिम मूल्य पर किया जाता है। इसका अर्थ है कि जब तक आपके खाते में सभी आरजीईएसएस योग्य प्रतिभूतियों का बाजार मूल्यांकन उस राशि से अधिक है जिसके लिए लाभों का दावा किया गया है, तब तक आप बिना कोई आरजीईएसएस योग्य प्रतिभूति खरीदने की जरूरत महसूस किए, ऐसे स्तर से ऊपर प्रतिभूतियों को बेच सकते हैं। इसके अलावा, यदि आपके खाते में सभी आरजीईएसएस योग्य प्रतिभूतियों का बाजार मूल्यांकन उस राशि से कम है जिसके लिए लाभों का दावा किया गया है, यदि आपने कोई भी प्रतिभूति नहीं बेची है, तब भी आपका खाता योजना के साथ अनुरूप (कंप्लायंट) माना जाएगा; घडी केवल तब चलती है यदि आरजीईएसएस योग्य प्रतिभूतियों से एक 'बिक्री' की जाती है। यह सामान्य बाजार गिरावटों से सुरक्षा प्रदान करती है।

ख. **लचीली लॉक-इन अवधि के दौरान किसी भी बिक्री के मामले में,** जिसके द्वारा आरजीईएसएस पोर्टफोलियो का मूल्य उस राशि से नीचे चला जाता है, जिसके लिए कर लाभों का दावा किया गया है, तो खाते को केवल उस दिन से आरजीईएसएस अनुरूप माना जाएगा जिस पर आरजीईएसएस पोर्टफोलियो का मूल्य कम से कम उस राशि, या इस प्रकार की बिक्री से पहले आरजीईएसएस पोर्टफोलियो के मूल्य, जो भी कम हो, के बराबर हो जाएगा जिसके लिए कर लाभों का दावा किया गया है। यह आंशिक या पूर्ण रूप से निम्नलिखित किसी भी तरीके से हो सकता है:

i. **बाजार की गतिविधियों के कारण,** शेष आरजीईएसएस पोर्टफोलियो का मूल्य उस राशि से जिसके लिए आरजीईएसएस लाभों का दावा किया गया है या ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री से पहले आरजीईएसएस पोर्टफोलियो के मूल्य से, जो भी कम हो, कम नहीं होता है।

ii. निवेशक कुछ **आरजीईएसएस अनुरूप (कंप्लायंट) प्रतिभूतियाँ जमा करता है** ताकि इन प्रतिभूतियों को जमा करने के बाद, आरजीईएसएस पोर्टफोलियो का मूल्य उस राशि, जिसके लिए आरजीईएसएस लाभों का दावा किया गया है या ऐसी प्रतिभूतियों की बिक्री से पहले उस खाते में आरजीईएसएस पोर्टफोलियो के मूल्य, जो भी कम हो, से कम न हो जाए।

iii. निवेशक **बेची गई प्रतिभूतियों के मूल्य से अधिक पर खाते में आरजीईएसएस अनुरूप प्रतिभूतियाँ खरीदता है; यदि बाजार गतिविधियाँ उसे लाभ नहीं पहुंचाती हैं तो अधिकतम राशि जो एक निवेशक को वापस लाने के लिए आवश्यक होती है, वह है जो उसने विक्रय की है।**

यदि खाता एक बार अनुरूप (कंप्लायंट) हो गया है, तो इसे अगला लेनदेन होने तक, शेष समयावधि के लिए अनुरूप माना जाएगा, जो पोर्टफोलियो के मूल्य को कर दावा की गई राशि से नीचे ले जाता है। विभिन्न परिदृश्य निम्नानुसार स्पष्ट किए गए हैं:

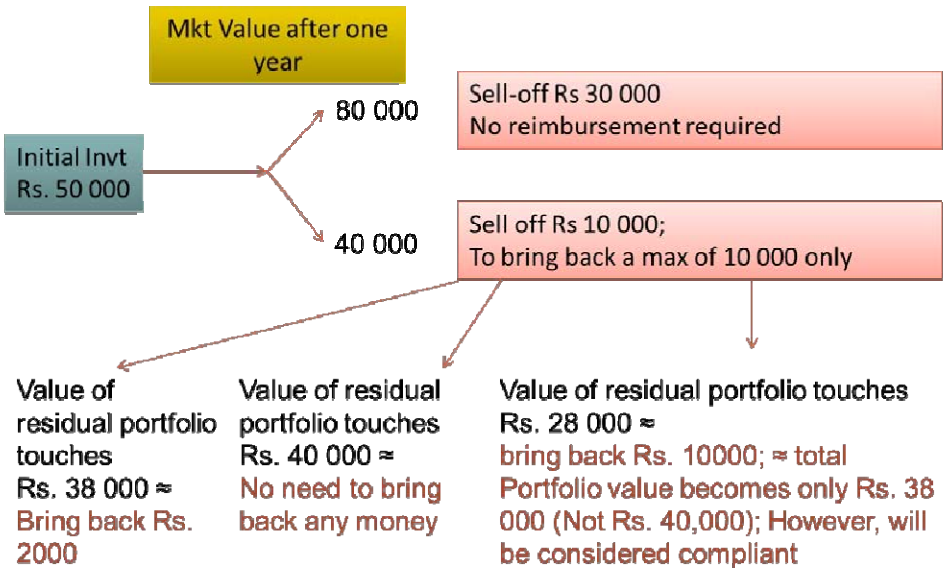

निवेशक को केवल तब योग्य प्रतिभूतियों को वापस खरीदने के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है, यदि निवेशक उन योग्य प्रतिभूतियों को बेचता है जो फिक्स्ड लॉक-इन के तहत थीं (बिक्री की तिथि पर योग्य प्रतिभूतियों के रूप में उनकी स्थिति के बावजूद) या वे प्रतिभूतियां जो फिक्स्ड लॉक-इन के अंतर्गत नहीं थीं लेकिन जैसा कि उपरोक्त प्रश्न नं. 49 में वर्णित है लचीली लॉक-इन अवधि के दौरान योग्य प्रतिभूतियों के निवेश के मूल्यांकन के लिए उन पर विचार किया जाता था।

उदाहरण यदि एक निवेशक ने कंपनी क के 400 शेयरों के रु. 50000 मूल्य के आरजीईएसएस निवेश पर कटौती का दावा किया था और इसके अलावा कंपनी क के अतिरिक्त 200 शेयर भी खरीदे थे (यह अतिरिक्त खरीद फिक्स्ड लॉक-इन अवधि में या लचीली लॉक-इन अवधि में की जा सकती है) तब:- (क) एक लचीली लॉक-इन अवधि में कंपनी क के 200 शेयरों तक की किसी भी बिक्री के लिए, यह माना जाएगा कि निवेशक ने कंपनी क के अतिरिक्त 200 शेयरों को बेचा है, न कि फिक्स्ड लॉक-इन के अंतर्गत रखे गए 400 शेयरों के वास्तविक सेट से; इसका अर्थ है कि निवेशक को उन शेयरों की वापसी के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। (ख) इसके बजाय, यदि ऐसा एक निवेशक कंपनी क के 300 शेयर बेचता है, तो उस राशि की क्षतिपूर्ति (रीकपिंग) के लिए उस पर नजर रखी जाएगी (यदि पोर्टफोलियो का रेसीड्युअल मूल्य आरजीईएसएस के अंतर्गत दावा किये गए निवेश से कम था) और कंपनी क के 600 शेयरों के मूल्य को बिक्री से पहले इस योजना के तहत निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य के रूप में माना जाएगा।

यदि आरजीईएसएस पोर्टफोलियो की कीमत लचीली लॉक-इन अवधि में योग्य प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य में गिरावट के कारण गिरता है और निवेशक उपरोक्त में वर्णित योग्य प्रतिभूतियों को बेचता है, तो डीमैट खाते को उस दिन से अनुरूप माना जाएगा जिस पर निवेश पोर्टफोलियो की कीमत धारा 80 सीसीजी के तहत कटौती के लिए योग्य निवेश या ऐसी बिक्री से पहले निवेश पोर्टफोलियो की कीमत, जो भी कम हो, के बराबर हो जाती है, चाहे ऐसी बिक्री के बाद योग्य प्रतिभूतियों की खरीद न हुई हो।

52. क्या होगा यदि मैं 'लचीली लॉक-इन' अवधि के दौरान योग्य प्रतिभूतियों का ट्रेड (बिक्री/खरीद) नहीं करूं?

यदि, आप 'लचीली लॉक-इन' अवधि के दौरान योग्य प्रतिभूतियों का ट्रेड (विक्रय/खरीदारी) नहीं करते हैं, तो आपका आरजीईएसएस डीमैट खाता आरजीईएसएस के तहत निवेश पोर्टफोलियो के मूल्य पर ध्यान दिए बिना अनुरूप बना रहेगा।

53. लचीली लॉक-इन अवधि की समाप्ति पर मेरे डीमैट खाते का क्या होगा?

आरजीईएसएस के लिए नामित आपके डीमैट खाते को लचीली लॉक-इन अवधि के अंत में एक नियमित या साधारण डीमैट खाते में बदला जाएगा और उसमें निहित प्रतिभूतियाँ स्वतंत्र रूप से स्थानांतरणीय (ट्रांसफरेबल) हो जाएंगी।

V. निगरानी (मॉनिटरिंग) और दंड (पेनाल्टी)

54. क्या मुझे योजना के प्रावधानों के साथ अनुपालन (कंप्लायंस) के उद्देश्य हेतु आरजीईएसएस योग्य प्रतिभूतियों को मूल्यांकित करना होगा?

नहीं। आपकी आरजीईएसएस पोर्टफोलियो में प्रतिभूतियों का दैनिक मूल्यांकन और 270 दिनों के लिए इस योजना के साथ आपके अनुपालन आदि पर डिपोजिटरी/ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) द्वारा नजर रखी जाएगी और उसके बारे में जानकारी डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से प्राप्त की जा सकती है। हालांकि, आप अपने डीमैट खाते में प्रतिभूतियों की प्रविष्टियों / मूल्यांकन की पुष्टि कर सकते हैं और किसी भी विसंगति के मामले में तुरंत अपने डीपी के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं।

55. मैं कर कटौती के लिए दावा कैसे करूं?

आपको नए खुदरा निवेशक प्रमाणपत्र की प्रति और आपके डीपी द्वारा आयकर विभाग को प्रदान किए गए वार्षिक खाता विवरण प्राप्त होंगे / आपको अपने द्वारा दाखिल किए गए आय कर रिटर्न में इन विवरणों का उल्लेख करने की आवश्यकता होती है।

56. मुझे नया खुदरा (रिटेल) निवेशक प्रमाणपत्र और वार्षिक खाता विवरण कौन देगा?

आपको अन्य डिपोजिटरी और एक्सचेंजों में आपके क्रेडेंशियल्स के सत्यापन के बाद सम्बंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा नया खुदरा निवेशक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र डीमैट खाता खोलने की तिथि से एक महीने के भीतर आपको जारी किया जाएगा। हालांकि इसमें लगने वाले समय को कम करने का प्रयास किया जाता है।

आप या तो अपने डीपी से आपको नया खुदरा निवेशक प्रमाणपत्र देने के लिए कह सकते हैं या अपने डीपी द्वारा आपको दी गई वेब सुविधा से इसे डाउनलोड कर सकते हैं (इस दिशा में प्रयास जारी हैं)।

इसके अलावा इस योजना के साथ आपके अनुपालन का संकेत करते हुए आपके डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के द्वारा आपको वार्षिक खाता विवरण भी प्रदान किया जाएगा।

57. यदि मैं आरजीईएसएस की शर्तों का उल्लंघन करता हूं तो उसके लिए क्या दंड है?

यदि कर-निर्धारिती (assessee), किसी भी पिछले वर्ष में (लचीली लॉक-इन अवधि के दो वर्षों सहित), आरजीईएसएस के तहत निर्दिष्ट किसी भी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वास्तविक अनुमत कटौती को उस पिछले वर्ष के कर-निर्धारिती की आय माना जाएगा और वह ऐसे पिछले वर्ष के लिए प्रासंगिक कर-निर्धारण वर्ष हेतु कर के लिए जिम्मेदार होगा।

उदाहरण

यदि कर-निर्धारिती आरजीईएसएस के दूसरे वर्ष के दौरान किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल रहता है (यानी, लचीली लॉक-इन के पहला वर्ष), तो उसे उस वर्ष के लिए आय में धारा 80 सीसीजी (आरजीईएसएस) के तहत कटौती के रूप में दावा किये गए पूर्ण निवेश (केवल कमी/शॉर्टफाल के लिए नहीं) पर कर का भुगतान करने की आवश्यकता होती है और तदनुसार कर का भुगतान करना होता है।

58. लचीली लॉक-इन अवधि के दौरान आरजीईएसएस योग्य निवेश पर विभिन्न प्रकार की कार्पोरेट कार्रवाइयों जैसे कि स्प्लिट, कंसोलिडेशन, बोनस, अधिकार, आदि का प्रभाव क्या होगा?

यदि कार्पोरेट कार्रवाइयों के कारण आरजीईएसएस निवेश में कोई परिवर्तन होता है जहाँ निवेशकों के पास कोई विकल्प (अनैच्छिक) जैसे स्प्लिट/डिमर्जर, आदि नहीं होता है, तो लचीले लॉक-इन के दौरान खाते की अनुपालन स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होगा। बोनस, आदि की स्थिति में, आवंटित किये गए अतिरिक्त शेयरों को खाते में मौजूदा आरजीईएसएस प्रतिभूतियों के अनुपात द्वारा अनुमत सीमा तक आरजीईएसएस प्रतिभूतियों के रूप में माना जाएगा।

परिणामस्वरूप प्राप्त प्रतिभूतियों को वास्तविक प्रतिभूतियों के रूप में लॉक-इन (फिक्स्ड/लचीली) की समान श्रेणी में रखा जाएगा।

यदि कॉर्पोरेट कार्रवाइयों के कारण आरजीईएसएस निवेश में कोई परिवर्तन होता है, जहां निवेशकों के पास अपनी पसंद पर कार्य करने का विकल्प होता है और लचीली लॉक-इन अवधि के दौरान प्रतिभूतियों के डेबिट में परिणाम देता है, तो उसे एक विक्रय लेनदेन के रूप में माना जाएगा। सेबी ने निवेशक के लिए विकल्प की उपलब्धता के आधार पर, आरजीईएसएस के तहत अनुमत कॉर्पोरेट कार्रवाइयों को अधिसूचित किया है। आरजीईएसएस के तहत अनुमत कॉर्पोरेट कार्रवाइयों के लिए सेबी परिचालन-संबंधी दिशानिर्देश देखें।

59. योजना की निगरानी कैसे की जाती है ?

डीमैट खाते खोलने के लिए पैन को अनिवार्य किया गया है। आरजीईएसएस निगरानी मुख्य रूप से पैन विवरण पर आधारित होती है। प्रत्येक ग्राहक को ग्राहक के ब्रोकर द्वारा यूनिक ग्राहक कोड (यूसीसी) आवंटित किया जाता है जो उस ग्राहक के स्थायी खाता संख्या (पैन) से लिंक होता है और इसलिए, डिपोजिटरीज और एक्सचेंजों के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर डिपोजिटरी आसानी से सत्यापित कर सकते हैं कि नया निवेशक कौन है। डिपोजिटरी द्वारा अन्य डिपोजिटरी से और स्टॉक एक्सचेंजों से आतंरिक रूप से और गहन सत्यापन के बाद नया खुदरा निवेशक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा जिससे यह प्रकट होता है कि लाभार्थी पहले से ही इक्विटी /डेरिवेटिव व्यवसाय में है या नही। डिपोजिटरी आरजीईएसएस पोर्टफोलियो का मूल्यांकन भी प्रदान करते हैं और लचीली लॉक-इन अवधि के दौरान निर्धारित स्थितियों के लिए अनुरूपता को सत्यापित करते हैं। आरजीईएसएस योजना के तहत उपलब्ध पैन धारकों के आय विवरण, आयकर विभाग द्वारा उनके इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस से सत्यापन योग्य होते हैं। इसके अलावा, आरजीईएसएस लाभार्थियों के विवरण, वित्तीय वर्ष के अंत तक संबंधित डिपोजिटरी द्वारा आयकर विभाग को हस्तांतरित किए जाएंगे।

60. अधिक विवरणों के लिए मैं किनसे संपर्क कर सकता हूं ?

बीएसई योगेश बम्बार्डेकर उप महाप्रबंधक 14वीं मंजिल, पी. जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400 001. फोन: + 9122-22/28286 फैक्स नंबर (कार्यालय): +912222/21338 ईमेल: yogesh.bambardekar@bseindia.com	**एनएसई** श्री युवराज पाटिल प्रबंधक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड. एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/ 1, जी ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई -400 051 फोन: 022-26598380 फैक्स: 022-26598315 ईमेल: patil@nse.co.in	**सीडीएसएल** श्री फारूख पटेल एसिस्टेंट वाइस प्रेसीडेंट सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड 16 वीं मंजिल, फिरोज जीजीभाय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400001 फोन: 022-22/23333 फैक्स: 022-22723199 ईमेल: rgess@cdslindia.com
एनएसडीएल इंवेस्टर रिलेशनशिप सेल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, ए विंग, 4 थी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013. बोर्ड टेली.: (022)2499 4200 फैक्स: (022) 24976351 ईमेल: relations@nsdl.co.in	**सेबी**	**वित्त मंत्रालय** संयुक्त सचिव कैपिटल मार्केट डिवीजन, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली फोन: 2309 5246 फैक्स: 2309 4413 ईमेल: rgess.2012@gmail.com